



2025:AHC: 15543

प्रकाशनार्थ स्वीकृत

05.12.2025 को सुरक्षित

21.01.2026 को पारित

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 5100 वर्ष 2022

बृजमोहन

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता : अखिलेश सिंह, राम प्रवेश यादव, विनय कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : दिनेश राय, शासकीय अधिवक्ता, संजय यादव

न्यायालय संख्या-44

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1 - वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण बृजमोहन की ओर से अपर प्रधान न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1, परिवार न्यायालय, फिरोजाबाद द्वारा भरण-पोषण वाद संख्या 1907 वर्ष 2014 (श्रीमती धीरजेश बनाम बृजमोहन), अंतर्गत धारा 125 द.प्र.सं., थाना- मकखनपुर, जिला- फिरोजाबाद में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 06.09.2022 के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

2 - आक्षेपित निर्णय और आदेश में, विद्वान विचारण न्यायालय ने श्रीमती धीरजेश द्वारा द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत दाखिल भरण-पोषण के आवेदन को स्वीकार कर लिया और पुनरीक्षणवादी बृजमोहन को निर्देश दिया कि वह उसे आवेदन की तिथि से 3000/- रुपये प्रति माह और आदेश की तिथि से 5000/- रुपये प्रति माह भरण-पोषण के रूप में भुगतान करे।

3 - वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि श्रीमती धीरजेश ने पुनरीक्षणवादी बृजमोहन के विरुद्ध द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत आवेदन दाखिल किया, जिसमें अभिकथन किया गया कि उसका विवाह बृजमोहन के साथ 17.02.2012 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। उसके ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अतिरिक्त दहेज के रूप में तीन लाख रुपये की मांग की और शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बृजमोहन ने उसके

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। 23.07.2013 को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसके पति और ससुराल वालों ने उसे बुरी तरह पीटा। उसके रिश्तेदार उसे इलाज के लिए शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद के अस्पताल ले गए, जहां उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया। उसके पिता ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने के संबंध में एक आपराधिक मामला दर्ज कराया और उस प्रकरण में पुलिस ने सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है। उक्त वाद विचारण के चरण पर लंबित है।

4 - यह भी अभिकथन किया गया है कि उसके पति ने उसे उसके वैवाहिक घर से निकाल दिया और तब से उसकी कोई देखभाल नहीं की गई है और उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने पिता के घर रह रही है। यह भी अभिकथन किया गया है कि उसके ससुराल वालों द्वारा की गई क्रूरता के कारण वह नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाई है। उसका पति बी.एस.सी. स्नातक है और उसके ससुर रेलवे से सेवानिवृत्त हैं। विपक्षी संख्या 2 के पति के पास दो बीयर की दुकानों और शराब की चार दुकानों के अलावा तीस बीघा कृषि भूमि है। बृजमोहन लगभग 1,00,000/- रुपये प्रति माह कमाता है और वह अपने भरण-पोषण, पढ़ाई और नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए अपने पति से 20,000/- रुपये प्रति माह चाहती है।

5 - पुनरीक्षणवादी, बृजमोहन, न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और अपने विरुद्ध किए गए सभी अभिकथन से इनकार करते हुए अपना लिखित अभिवचन प्रस्तुत किया और कहा कि उसके विरुद्ध किए गए अभिकथन झूठे और मनगढ़ंत हैं। श्रीमती धीरजेश हमेशा उसके और उसके परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा करती है और उसके माता-पिता से अलग रहने के लिए बंटवारा चाहती थी। उसके पास शराब की कोई दुकान चलाने का लाइसेंस नहीं है। इसके अलावा, उसका कोई व्यवसाय नहीं है। उसके पिता के पास कुछ जमीन है, जबकि श्रीमती धीरजेश चूड़ियाँ और कड़े बनाने के काम में लगी हुई है। वह एक स्नातक महिला है और ट्यूशन तथा सिलाई के काम से लगभग 10,000/- रुपये प्रति माह कमाती है, इसलिए उसे किसी भी भरण-पोषण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है। इसलिए, आवेदन खारिज किया जाए।

6 - अभिवचनों के आदान-प्रदान के बाद, श्रीमती धीरजेश कठघरे में उपस्थित हुई और ए.पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में खुद का परीक्षण कराया और प्रेम शंकर को ए.पी.डब्ल्यू. 2 के रूप में प्रस्तुत किया। इसके अलावा, उसने एफ.आई.आर. की प्रति, अपने स्वयं के शपथपत्र, बृजमोहन के नाम पर



पंजीकृत चार पहिया वाहन की आर.सी. की छायाप्रति, अपने बैंक खाते की छायाप्रति, विक्रय विलेख की प्रति और चोट रिपोर्ट आदि के रूप में कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी दाखिल किए।

7 - पुनरीक्षणवादी बृजमोहन ने ओ.पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में खुद का परीक्षण कराया और अपने दस्तावेजी साक्ष्य में, उसने एकपक्षीय निर्णय दिनांक 04.04.2016 की प्रति, आदेश-पत्र की प्रति, प्रकीर्ण वाद संख्या 108 वर्ष 2016 में द.प्र.सं. की धारा 125(3) के अंतर्गत जारी वसूली वारंट की प्रति, छायाप्रति सी.डी., चालानी आदेश और अपना स्वयं का शपथपत्र आदि दाखिल किया है।

8 - दोनों पक्षकारों के तर्कों को सुनने और अभिलेख का परीक्षण करने के बाद, विद्वान न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि, स्वीकार्य रूप से, दोनों पक्षकार एक-दूसरे से विवाहित हैं और आवेदक धीरजेश अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। यह भी संप्रेक्षण किया गया कि विपक्षी बृजमोहन के पास अपनी पत्नी श्रीमती धीरजेश का भरण-पोषण करने के साधन हैं। यह भी संप्रेक्षण किया गया कि की गई मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के कारण, श्रीमती धीरजेश के पास अपने पति से अलग रहने का उचित और पर्याप्त कारण है और उपरोक्त के दृष्टिगत, द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत दाखिल भरण-पोषण आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया और पुनरीक्षणवादी बृजमोहन के विरुद्ध भरण-पोषण के संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया गया।

9 - व्यथित होकर, यह पुनरीक्षण इस आधार पर दाखिल किया गया है कि विद्वान न्यायालय ने साक्ष्य और सामग्री का उसके सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण नहीं किया है। श्रीमती धीरजेश ने बिना किसी उचित कारण के अपनी मर्जी से घर छोड़ दिया था। उसने बिना किसी पर्याप्त कारण के पुनरीक्षणवादी का परित्याग कर दिया और इस प्रकार, भरण-पोषण का दावा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह भी अभिकथन किया गया है कि दी गई भरण-पोषण राशि अत्यधिक है। पुनरीक्षणवादी कृषि कार्य में लगा हुआ है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय ने आवेदन दाखिल करने की तिथि से भरण-पोषण देने का कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया है। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश पोषणीय रखने योग्य नहीं है और अपास्त किए जाने योग्य है।

10 - विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं और उनकी ओर से एक प्रति-शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से इनकार किया है। पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता ने एक प्रति-उत्तर शपथपत्र दाखिल किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11 - सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय ने मामले को मध्यस्थता और सुलह केंद्र, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष मध्यस्थता के लिए भेजा था लेकिन मध्यस्थता विफल रही। तत्पश्चात, 17.02.2025 को, यह टिप्पणी किया गया कि पुनरीक्षणवादी ने 04.04.2023 को अंतरिम आदेश प्राप्त किया था और मध्यस्थता कार्यवाही विफल होने के बावजूद, वह गुण-दोष के आधार पर इस मामले पर बहस करने के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है।

12 - पिछली तिथि यानी 17.10.2025 को भी पुनरीक्षणवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। 24.01.2025 को, इस न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी किया गया कि यदि पुनरीक्षणवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह न्यायालय उनकी अनुपस्थिति में भी मामले की सुनवाई और अंतिम निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा। आज भी, इस पुनरीक्षण पर जोर देने के लिए पुनरीक्षणवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, ऐसे में, विद्वान ए.जी.ए. और विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना जाता है और इस पुनरीक्षण का निर्णय पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति में गुण-दोष के आधार पर किया जाता है।

13 - पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग के दायरे के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **संजयसिंह रामराव चव्हाण बनाम दत्तात्रय गुलाबराव फाल्के और अन्य, (2015) 3 एस.सी.सी. 123** में अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, मजिस्ट्रेट के आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब तक कि वह विकृत या पूरी तरह से अनुचित न हो या किसी प्रासंगिक सामग्री पर विचार न किया गया हो। केवल इस आधार पर आदेश को अपास्त नहीं किया जा सकता है कि एक अन्य दृष्टिकोण संभव है।

14 - **केरल राज्य बनाम पुट्टुमना इल्लम जठवेदान नंबूदिरी (1999) 2 एस.सी.सी. 452** के बाद में, उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के दायरे पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि क्षेत्राधिकार पर्यवेक्षी है, जिसका प्रयोग न्याय की विफलता को सुधारने के लिए किया जाता है, लेकिन उक्त पुनरीक्षण शक्ति की तुलना अपीलीय न्यायालय की शक्ति से नहीं की जा सकती है, और न ही इसे साधारणतया एक द्वितीय अपीलीय क्षेत्राधिकार माना जा सकता है, इसलिए, उच्च न्यायालय के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना और उस पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं हो सकता है, जब साक्ष्य का विश्लेषण पहले ही मजिस्ट्रेट और साथ ही सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जा चुका हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15 - यह आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणवादी द्वारा द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 2/धीरजेश के भरण-पोषण के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था।

16 - माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि के सिद्धांत को दोहराया है कि न्यायालय द्वारा द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत कार्यवाहियों से कैसे निपटा जाना चाहिए। **दुखतर जहां बनाम मोहम्मद फारूक (1987) 1 एस.सी.सी. 624** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संहिता की धारा 125 के अंतर्गत कार्यवाहियां, यह याद रखना चाहिए, प्रकृति में संक्षिप्त हैं और बेसहारा पत्नियों और बच्चों को, बाद वाले चाहे वे धर्मज हों या अधर्मज, त्वरित तरीके से भरण-पोषण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए हैं।

17 - **विमला (के.) बनाम वीरास्वामी (के.), (1991) 2 एस.सी.सी. 375** में तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने संहिता की धारा 125 के अंतर्गत मूल उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हुए राय दी कि द.प्र.सं. की धारा 125 का अर्थ एक सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करना है और इसका उद्देश्य आवारागर्दी और बेसहारापन को रोकना है। यह परित्यक्त पत्नियों को भोजन, कपड़े और आश्रय की आपूर्ति के लिए एक त्वरित उपचार प्रदान करता है।

18 - **चतुर्भुज बनाम सीता बाई, (2008) 2 एस.सी.सी. 316** में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भरण-पोषण कार्यवाहियों का उद्देश्य पति को उसकी पिछली उपेक्षा के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि भोजन, कपड़े और आश्रय के लिए त्वरित उपचार प्रदान करके आवारागर्दी और बेसहारापन को रोकना है।

19 - द.प्र.सं. की धारा 125 के प्रावधानों को संदर्भ के लिए नीचे प्रस्तुत किया गया है:

धारा 125 द.प्र.सं.- पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश।

(1) यदि पर्याप्त साधन वाला कोई व्यक्ति भरण-पोषण करने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है-

(क) अपनी पत्नी का, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है; या

(ख) अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का, चाहे वह विवाहित हो या नहीं, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है; या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ग) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री न हो) जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है; या

(घ) अपने पिता या माता का, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं,

प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित होने पर, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ते के रूप में ऐसी मासिक दर पर, जो मजिस्ट्रेट उचित समझे, भुगतान करने और उसे ऐसे व्यक्ति को देने का आदेश दे सकता है जिसे मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देशित करे:

बशर्ते कि मजिस्ट्रेट खंड (ख) में निर्दिष्ट अवयस्क महिला संतान के पिता को ऐसा भत्ता देने का आदेश दे सकता है, जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाती, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि ऐसी अवयस्क महिला संतान का पति, यदि विवाहित है, के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं:

[बशर्ते आगे कि मजिस्ट्रेट, इस उप-धारा के अंतर्गत भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरण-पोषण और ऐसी कार्यवाही के खर्चों के लिए, जो मजिस्ट्रेट उचित समझे, मासिक भत्ता देने और उसे ऐसे व्यक्ति को देने का आदेश दे सकता है जिसे मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देशित करे:

बशर्ते यह भी कि दूसरे परंतुक के अंतर्गत अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चों के लिए मासिक भत्ते के लिए एक आवेदन का, यथासंभव, ऐसे व्यक्ति को आवेदन के नोटिस की तामीली की तिथि से साठ दिनों के भीतर निस्तारण किया जाएगा।]

स्पष्टीकरण - इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,

(क) "अवयस्क" का अर्थ है वह व्यक्ति जो भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (9 वर्ष 1875) के प्रावधानों के अंतर्गत वयस्क नहीं माना गया है;

(ख) "पत्नी" में वह महिला शामिल है जिसे उसके पति द्वारा तलाक दे दिया गया है, या जिसने अपने पति से तलाक प्राप्त कर लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया है।



[(2) भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चों के लिए ऐसा कोई भत्ता आदेश की तिथि से देय होगा, या यदि ऐसा आदेश दिया गया है, तो भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चों के लिए आवेदन की तिथि से, जैसी भी स्थिति हो।]

(3) यदि ऐसा आदेशित कोई व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो ऐसा कोई भी मजिस्ट्रेट, आदेश के प्रत्येक उल्लंघन के लिए, जुर्माने की वसूली के लिए प्रदान किए गए तरीके से देय राशि वसूलने के लिए वारंट जारी कर सकता है, और वारंट के निष्पादन के बाद भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चों के लिए प्रत्येक महीने के भत्ते के पूरे या किसी हिस्से का भुगतान न किए जाने पर, ऐसे व्यक्ति को एक अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकता है जो एक महीने तक बढ़ सकती है या जब तक कि भुगतान जल्द न कर दिया जाए:

बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत देय किसी राशि की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उस तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर जिस दिन वह देय हुई थी, ऐसी राशि वसूलने के लिए न्यायालय में आवेदन न किया गया हो:

बशर्ते आगे कि यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के भरण-पोषण की पेशकश इस शर्त पर करता है कि वह उसके साथ रहे, और वह उसके साथ रहने से इनकार करती है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा बताए गए इनकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है, और ऐसी पेशकश के बावजूद इस धारा के अंतर्गत एक आदेश दे सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए न्यायसंगत आधार है।

स्पष्टीकरण.- यदि किसी पति ने किसी अन्य महिला के साथ विवाह किया है या कोई उपपत्नी रखी है, तो इसे उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार करने के लिए एक न्यायसंगत आधार माना जाएगा।

(4) कोई पत्नी इस धारा के अंतर्गत अपने पति से भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चों के लिए भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि वह व्यभिचार में रह रही है, या यदि बिना किसी पर्याप्त कारण के वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं।



(5) यह साबित होने पर कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अंतर्गत आदेश दिया गया है, व्यभिचार में रह रही है, या वह बिना पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या कि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, मजिस्ट्रेट आदेश को रद्द कर देगा।

20 - **भुवन मोहन सिंह बनाम मीना, (2015) 6 एस.सी.सी. 353** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि द.प्र.सं. की धारा 125 की परिकल्पना एक महिला की व्यथा, पीड़ा, वित्तीय कष्ट को दूर करने के लिए की गई थी, जिसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था, ताकि न्यायालय द्वारा कुछ उपयुक्त व्यवस्था की जा सके और वह अपना तथा अपने बच्चों का, यदि वे उसके साथ हैं, भरण-पोषण कर सके। चूंकि पत्नी और अवयस्क बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना पति का पुनीत कर्तव्य है, इसलिए पति को शारीरिक श्रम करके भी पैसे कमाने की आवश्यकता थी, यदि वह स्वस्थ व्यक्ति है और वह संविधि में उल्लिखित किसी भी विधिक रूप से अनुमेय आधार के अलावा, अपने दायित्व से नहीं बच सकता है।

21 - **मनीष जैन बनाम आकांक्षा जैन, (2017) 15 एस.सी.सी. 801** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भरण-पोषण की मात्रा निर्धारित करते समय आवेदक पत्नी के माता-पिता की वित्तीय स्थिति महत्वपूर्ण नहीं होगी। भरण-पोषण के आवेदन का यह उत्तर नहीं है कि उसकी पत्नी शिक्षित है और अपना भरण-पोषण कर सकती है। पति की यह दलील कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, उसे अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने से मुक्त नहीं करती है, यदि वह स्वस्थ व्यक्ति है और उसके पास शैक्षणिक योग्यता है (**रीमा साल्कन बनाम सुमेर सिंह साल्कन (2019) 12 एस.सी.सी. 303**)।

22 - उपरोक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत, आक्षेपित आदेश का परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए किया जानी चाहिए कि क्या यह किसी विकृति या अवैधता से ग्रस्त है।

23 - पुनरीक्षणवादी/पति ने आक्षेपित आदेश पर आक्षेप करते हुए तीन बिंदु उठाए हैं। पहला, उसने यह बिंदु उठाया है कि विपक्षी संख्या 2/श्रीमती धीरजेश ने स्वेच्छा से पुनरीक्षणवादी का परित्याग कर दिया था और इसलिए, वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है। दूसरा, पुनरीक्षणवादी का कथन है कि विपक्षी संख्या 2 के पास अपना भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन हैं। तीसरा, उसका तर्क है कि उसके पास अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए आय का कोई स्रोत नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



24 - जहाँ तक पहले बिंदु का संबंध है, यह विवादित नहीं है कि पुनरीक्षणवादी/बृजमोहन और विपक्षी संख्या 2/श्रीमती धीरजेश विधिक रूप से विवाहित पति-पत्नी हैं। विपक्षी संख्या 2 के अनुसार, विवाह के बाद उसे उसके वैवाहिक घर से निकाल दिया गया और उस पर की गई प्रताड़ना के कारण उसे चोटें आईं और उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया। उसके पिता ने पुनरीक्षणवादी और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 606 वर्ष 2013, धारा 498ए, 323, 504, 506 भा.द.सं. और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के अंतर्गत दर्ज एक एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद उक्त अपराध में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है, जो विचारण के चरण पर लंबित है। विपक्षी संख्या 2 ने कहा है कि अपने पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना के कारण वह अब अपने मायके में रह रही है। इसके समर्थन में उसने शपथ पर अपना बयान दिया है और आरोप-पत्र की प्रति दाखिल किया है।

25 - पुनरीक्षणवादी ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि उपरोक्त आपराधिक वाद उसके और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध दर्ज किया गया था, लेकिन उसने तर्क प्रस्तुत किया है कि यह झूठे और मनगढ़ंत तथ्यों पर दर्ज किया गया था।

26 - **सिराजमोहम्मदखान जनमोहम्मदखान बनाम हफीजुन्निसा यासीनखान और अन्य, ए.आई.आर. (1981) एस.सी. 1982** में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि पत्नी को दहेज की मांग या पति के आचरण के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है, और पत्नी को यह आशंका है कि उसे चोट लग सकती है, तो पत्नी के लिए अपने पति से अलग रहने का यह एक वैध आधार है।

27 - वर्तमान वाद में, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और विधिक स्थिति पर विचार करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि पत्नी के अपने पति से अलग रहने के वैध आधार हैं। पुनरीक्षणवादी ने यह साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य दाखिल नहीं किया है कि विपक्षी संख्या 2 ने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से उसका परित्याग कर दिया था। इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष किसी विकृति या त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।

28 - दूसरे बिंदु के संबंध में, पुनरीक्षणवादी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि विपक्षी संख्या 2 एक स्नातकोत्तर है, जिसने एम.ए. पास किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि वह चूड़ियाँ और कड़े बनाती है, इसके अलावा, वह ट्यूशन देती है और सिलाई का काम भी करती है, जिससे वह 10,000/- रुपये प्रति माह कमाती है और इसलिए, उसे पुनरीक्षणवादी से भरण-पोषण की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवश्यकता नहीं है। विपक्षी संख्या 2 ने इस तथ्य से इनकार किया है और कहा है कि उसके पास अपना भरण-पोषण करने के लिए कोई आय नहीं है। पुनरीक्षणवादी ने विपक्षी संख्या 2 की कथित आय के संबंध में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है।

29 - उपरोक्त के दृष्टिगत, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विपक्षी संख्या 2 के पास अपना भरण-पोषण करने के लिए आय का कोई स्रोत नहीं है, और विचारण न्यायालय का यह दृष्टिकोण भी किसी त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।

30 - अंततः, पुनरीक्षणवादी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उसके पास विपक्षी संख्या 2 का भरण-पोषण करने के लिए कोई आय नहीं है। दूसरी ओर, विपक्षी संख्या 2 की ओर से यह अभिकथन किया गया है कि पुनरीक्षणवादी बी.एस.सी. पास स्नातक है। उसके पिता के पास तीस बीघा जमीन है, इसके अलावा, पुनरीक्षणवादी के पास शराब की चार दुकानें हैं और उसकी मासिक आय लगभग 1,00,000/- रुपये प्रति माह है।

31 - पुनरीक्षणवादी ने इन तथ्यों से इनकार किया है, लेकिन स्वीकार किया है कि उसके पास चार बीघा जमीन है, जिस पर वह कृषि कार्य करता है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह अपने भाई की दुकान पर बैठता है और प्रति दिन 100-150 रुपये कमाता है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके नाम पर तीन अन्य सह-अंशधारियों के साथ पैतृक संपत्ति है। विचारण न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणवादी ने स्वयं को अपना और अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने में अक्षम होने का दावा नहीं किया है, हालांकि, यह इस न्यायालय के समक्ष है कि पुनरीक्षणवादी ने कुछ पर्चे दाखिल किए हैं और दावा किया है कि वह बीमार है और इस प्रकार, कमाने में अक्षम है। इन पर्चों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि पुनरीक्षणवादी सिरदर्द से पीड़ित था और उसे कुछ दवाइयां दी गई थीं। ये मेडिकल कागजात यह नहीं दर्शाते हैं कि पुनरीक्षणवादी किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है, जो उसे कोई शारीरिक श्रम कार्य करने से रोकती है। इस प्रकार, पुनरीक्षणवादी एक स्वस्थ व्यक्ति है और ऐसा होने के नाते, वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए उत्तरदायी है।

32 - विपक्षी संख्या 2 ने अपने प्रति-शपथ पत्र में अभिकथन किया है कि इस आपराधिक पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान, पुनरीक्षणवादी ने भरण-पोषण का भुगतान करने से बचने के लिए अपनी कुछ संपत्ति उसे उपहार में दे दी थी और यह भी कहा है कि इस आपराधिक पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान, पुनरीक्षणवादी ने अपने भाई के साथ एक वाणिज्यिक संपत्ति खरीदी थी। विपक्षी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 2 ने विक्रय विलेख की एक प्रति दाखिल की है। विक्रय विलेख उसके प्रति-शपथ पत्र के अनुलग्नक संख्या 3 के रूप में संलग्न है। अपने दावे के समर्थन में, पुनरीक्षणवादी ने एक प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल किया है, लेकिन इसमें इस तथ्य से इनकार नहीं किया है।

33 - विपक्षी संख्या 2 ने दावा किया है कि इस न्यायालय के अंतरिम भरण-पोषण के आदेश के दृष्टिगत, पुनरीक्षणवादी ने विपक्षी संख्या 2 को भरण-पोषण राशि का भुगतान किया है, जो विपक्षी संख्या 2 के इस दावे को और पुष्ट करता है कि पुनरीक्षणवादी के पास विपक्षी संख्या 2 को भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन हैं।

34 - उपरोक्त के दृष्टिगत, पुनरीक्षणवादी के पास आय का पर्याप्त स्रोत है और वह अपनी पत्नी/विपक्षी संख्या 2 का भरण-पोषण करने के लिए उत्तरदायी है और इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष पूरी तरह से न्यायोचित है और किसी त्रुटि या अवैधता से ग्रस्त नहीं है।

35 - आक्षेपित आदेश के परिशीलन से पता चलता है कि विपक्षी संख्या 2 को आवेदन की तिथि से आदेश की तिथि तक 3000/- रुपये प्रति माह और आदेश की तिथि से 5000/- रुपये प्रति माह भरण-पोषण का आदेश दिया गया था।

36 - दोनों पक्षकारों की स्थिति को देखते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त भरण-पोषण राशि अत्यधिक नहीं है। इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, आक्षेपित आदेश किसी विकृति या अवैधता या त्रुटि से ग्रस्त नहीं है। अतः इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, यह पुनरीक्षण, गुण-दोष रहित होने के कारण, **खारिज** किया जाता है और आक्षेपित आदेश दिनांक 06.09.2022 की एतद्वारा पुष्टि की जाती है। तदनुसार, इस न्यायालय द्वारा 04.04.2023 को पारित अंतरिम आदेश रद्द किया जाता है।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

21 जनवरी, 2026

शुभम